

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

उमेश कुमार मुतबन्ना स्व. किशनलाल ब्राह्मण निवासी बिलोदा
बनाम

श्रीमती लीलाबाई बेवा किशनलाल ब्राह्मण निवासी बिलोदा, वगैरा

प्रकरण संख्या 213/2022 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलाण्ट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलाण्ट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ तहसीलदार को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	